

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 04, बुधवार, शके 1947- जून 25, 2025 Asadha 04, Wednesday, Saka 1947- June 25, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 31, 2025

संख्या जावप्रा / उपा/ जोन-05 / डी- 13309353 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना निर्माण नगर एबी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 21 (3, 4, 20 पार्ट), 22 व 23 कुल क्षेत्रफल 1271.65 वर्ग गज भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 13.06.2024 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सर्शत स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना निर्माण नगर- एबी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 21 (3, 4, 20 पार्ट), 22 व 23 कुल क्षेत्रफल 1271.65 वर्ग गज भूमि, जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार व्यावसायिक दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार व्यावसायिक भू-उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 31-01-2025 को जारी की गई है।

निशान्त जैन,

सचिव।